

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो उप्र क्रमांक एवं विवाक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुनियोग हो।



ग्राम : गूलीबरियाई  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फँक्स : (0751) 2341768

## प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/119

दिनांक: 28/02/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-2346110) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित श्री.एस-सी. (नर्सिंग) तृतीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत नियमानुसार नियमित का गठन किया है:-

(1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442766)

(2) डॉ. ऐशुका दास, प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

(3) प्रो. कै.एस. शर्मा, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. राजेन्द्र अटीक, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

नियमित के सदस्यों से अवृग्रह है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियमित कर शुल्क, धरोहर गाँधि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं येतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विराग्यानुसार नियमित द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का नियमित कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। विससे कि सम्मूह कार्यवाही (महाविद्यालय नियमित की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जावे वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का नियमित नहीं हुआ है। वियमानुसार अव्यवहार जगा कराकर बचीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियमित के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रकाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से नियमित समिति को अवगत करावेगे। नियमित समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

## प्रतिलिपि :-

1. समर्पण सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संविधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर नियमित दिनांक नियमित कर महाविद्यालय का नियमित करावें। उक्त नियमित 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नियमी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)